

'संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य की सीख देता है'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "संविधान दिवस" कार्यक्रम में भाग लिया

जयपुर, 26 नवम्बर 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को संवर्धित करते हुए प्रसारित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार

■ मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रियों, प्रेम चन्द्र बैरवा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, हेमन्त मीणा, सुरेश रावत, बाबूलाल खारडी व अविनाश गहलोत तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत, विभिन्न विभागों के अति. मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उपरित लोगों से संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" का दीप जलाकर शुभारम्भ किया।

किया शर्मा ने कहा कि भारत का शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है लोगों को संविधान की उद्देशिका का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे अधिकार देने के साथ ही, कर्तव्यों की भी सीख देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर, 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को ये लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। इसके बाद संविधान को अधिकारियों के अधिकार देने के दिन से अपनाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्पन्न हमारा प्रधान कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान कर्तव्य की सीख देता है।

29 नवम्बर को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य समाजिक वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए संसाधनों को अधिकार मिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे अधिकार देने के साथ ही, कर्तव्यों की भी सीख देता है।

इस अवसर पर उपर्युक्त मंत्री ने एक पुस्तक नहीं, बल्कि राष्ट्र की आपामानिकी की प्रतिबिंब है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीण उपस्थित थे।

क्या अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में आपके पैसे डूब गए हैं?

वित्तीय मामलों से जुड़ी अपनी शिकायतें

सचेत पोर्टल पर दर्ज करें

- यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें

<https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

• यह पोर्टल वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।